न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 100/2012 (उदयपुर डिक्री)

मु0 वरदी बेवा भगवानलाल जी जाट, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती चुन्नी बेवा गंगाराम जी जाट (मृतक)
2. बाबूलाल पिता माधुलाल जी जाट, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. बद्रीलाल पिता माधुलाल जी जाट, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती उगम बाई पुत्री माधुलाल जी जाट, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. मु0 चांदी बाई बेवा माधुलाल जी जाट, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. अमरचन्द्र पिता रामा जी जाट, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती सोसर पुत्री रामा जी जाट, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 11.07.2012, प्र. सं. 37/12

–––/–––

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभि.रे. 1, 2, 3, 5

2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे.सं. 8

–––::–––

निर्णय **दिनांक 23–05–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/वादीया द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर

कथन किया कि ग्राम जैवाणा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' में अंकित कुल किता 5 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा में वादिया के पति भगवानलाल का 1/8 हिस्सा दर्ज है। भगवानलाल की मृत्यु हो चुकी है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''ख'' में अंकित कुल किता 15 रकबा 42 बीघा 15 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है। वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित उक्त भूमियां वादिया एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी जायदाद होकर वादिया व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से पर संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे हैं। पक्षकारान के मध्य अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा बिना कानूनी बंटवाड़ा कराये प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने व अन्य अजनवी व्यक्तियों को विक्रय करने पर आमादा हैं। वाद पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ट ''क'' में वादिया का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा होकर वादिया व प्रतिवादीगण इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। परिशिष्ट ''ख'' में वर्णित आराजियात गंगाराम पिता धना जी के खातेदारी हक की थी तथा गंगाराम की मृत्यु पर विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नीबाई अकेले के नाम दर्ज हो गयी है, जबकि गंगाराम जी का क्रिया कर्म वादिया के पति व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 7 ने किया। वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''ख'' में वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खेत नामी पीपली वाला खेत व 3 बीघा का खेत नामी नाड़ी का चारा, प्रतिवादी संख्या 1 को भैस चराने हेतु दिया गया व प्रतिवादी संख्या 7 को प्रतिवादी संख्या 1 के पति गंगारार की पगड़ी दस्तूर पेटे प्रतिवादी संख्या 1 के 100 दिन पूरे होने अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु के बाद उक्त खेत नामी पीपली वाला खेत देना समाज के रीति रिवाज अनुसार तय हुआ तथा इस बात की लिखा पढ़ी समाज के पंचों के सामने वादिया के पति भगवानलाल व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में लिख दी तथा उक्त लिखा पढी अनुसार गंगाराम की जायदाद में वादिया व प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। गंगाराम की जायदाद में वादीया के पति का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 के पति का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 7 का 1/3 हिस्सा होकर इसी प्रकार उपयोग–उपभोग करते

चले आ रहे हैं। अतएवं परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' में वर्णित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्से की भूमि में वादियों को 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या ''क'' में अंकित आराजीयात में वादिया ने अपने पति भगवानलाल के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज होना बताया है एवं इसका विभाजन चाहा है। संवत् 2064 से 2967 की जमाबन्दी में भगवानलाल का उक्त 1/8 हिस्सा देवकिशन पिता शिवनारायण लोहार के नाम दर्ज हो चुका है, ऐसी स्थिति में जब वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''क'' में वादिया का कोई हिस्सा ही नहीं रहा तो उसे दावा लाने का कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार वाद पत्र की कलम संख्या 1 ''ख'' की भूमियां वर्तमान में चुन्नी बेवा गंगाराम जाट के नाम दर्ज हैं। वादिया ने अपने वाद में कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया की चुन्नी के खाते में दर्ज भूमि में उसका क्या स्वत्व है, जब वादिया ने कोई स्वत्व ही नहीं बताया है तो उसका घोषणा का वाद चलने योग्य नहीं है तथा स्थाई निषेधाज्ञा का दावा भी चलने योग्य नहीं है। वादिया ने कहीं पर भी अंकित नहीं किया है कि गंगाराम जी ने किसी रजिस्टर्ड सेलडीड से जमीन वादिया के पति को बेची हो। ऐसी अवस्था में वादिया का इस जमीन में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है तो वादिया को हमारे विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने का कॉफ ऑफ एक्शन ही पैदा नहीं होता है। पगड़ी बांधने से तथा क्रिया कर्म करने से किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। परिशिष्ट ''ख'' की भूमियों की प्रतिवादी संख्या 1 अकेली खातेदार होने से उसके द्वारा दिनांक 24–11–2011 को बाबूलाल पिता माधुलाल व चांदी बाई पत्नी माधुलाल के पक्ष में बक्षीसनामा निष्पादित कर रजिस्ट्री करा दी है और कब्जा भी सिपुर्द कर दिया है। जब तक उक्त दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जावे तब तक वादिया को इस न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार यह दावा बार्ड बाई लॉ की तारीफ में आने वे खारिज योग्य है।

उक्त आवेदन का जवाब वादिया की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। प्रतिवादीगण ने जो

आपत्तियां उठायी हैं वे वाद के जवाब में उठा सकते थे। वादिया का वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के अनुसार चलने योग्य है अथवा नहीं यह वाद में अंकित तथ्यों के आधार पर तय किया जा सकता है। प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं कर दावे को लम्बा करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद वादिया का वाद स्पेशिफिक परफोरमेंस का होने से राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं माना साथ ही अनरजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने के आधार पर दावे में कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा होना नहीं माना एवं इस आधार पर वाद बार्ड बाई लॉ की तारीफ में होना मानकर खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 11–07–2012 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–08–2012 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3 व 5 की ओर से वकील श्री विजय कुमार ओस्तवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायलय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों के वर्णित तथ्यों को ही वक्त बहस दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के स्कोप को बिना समझे ही कथित निर्णय पारित करने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादिया का वाद स्पेसिफिक परफोरमेन्स का होने से राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं माना निर्णय पारित करने में भूल की है तथा अनरजिर्स्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदार नहीं दिये जा सकने

के आधार पर भी निर्णय देने में भूल की है, क्योंकि वादिया ने फैमिली सेटलमेन्ट के आधार पर कब्जा होना तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कहीं पर भी यह अंकित नहीं किया है कि वादिया का वाद किन तथ्यों के आधार पर बार्ड बाई लॉ है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वाद बार्ड बाई लॉ मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात व बहस पर मनन किया गया तो स्थिति इस प्रकार प्रकट आयी कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति है कि परिशिष्ट ''क'' की भूमियों के संदर्भ में वादिया द्वारा संवत् 2056 से 2059 की जमाबन्दी पेश कर अपना 1/8 हिस्सा होना बताया है। आश्चर्य जनक रूप से संवत् 2059 का वर्ष 2002 होता है, जबकि यह दावा 2012 में पेश किया गया है। वहीं प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट द्वारा संवत् 2064 से 2067 की जमाबन्दी प्रस्तुत की गयी है अर्थात वर्ष 2007 का भी माना जाये तो सन् 2010 में उक्त भूमि में नामान्तरकरण संख्या 1531 दिनांक 26–10–2010 से भगवानलाल पिता रामा का 1/8 हिस्से बजाय अन्य लोगों को उक्त भूमि नामान्तरित हो चुकी है। उक्त प्रविष्टि वर्ष 2012 में वाद दायरी के पूर्व 2010 में हो चुकी है, परन्तु वादिया/अपीलान्ट द्वारा न्यायालय को मुगालते में रखते हुए वाद दायरी के 10 वर्ष पुराना रेकार्ड प्रस्तुत किया है। स्पष्टया वादिया स्वच्छ हाथों से न्यायालय में पेश नहीं हुई है। साथ ही वादिया भगवानलाल के बेवा होने के कारण अपना 1/8 हिस्सा बताती है, जबकि वर्ष 2010 में ही भगवानलाल के नाम दर्ज उक्त 1/8 हिस्सा अन्य व्यक्तियों को नामान्तरित हो चुका है। वादिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1531 दिनांक 26–10–2010 के क्रेतागणों को भी पक्षकार नहीं बनाया है। स्पष्टया वादिया का 1/8 हिस्सा परिशिष्ट ''क'' की भूमियों में नहीं होने से उसे कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है, जब वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होता है तो स्पष्टया वाद विधि वर्जित होता है और ऐसे वाद को खारिज किया जाना अनावश्यक वादकरण को रोकने के लिए निहायत जरूरी होता है। तद्नुसार वादिया को परिशिष्ट ''क'' की भूमियों में कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होता है।

जहां तक परिशिष्ट ''ख'' की भूमियों का प्रश्न है, वादिया स्वयं यह कहकर आयी है कि विवादित भूमियां गंगाराम जी की होकर उसकी मृत्यु के बाद विरासत से उसकी बेवा प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नी बाई के नाम दर्ज हुई हैं, जबकि उक्त भूमियों में समाज के लोगों द्वारा बेवा को सिर्फ 2 खेत दिये गये हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी भी हिन्दू की विरासत में उसकी पत्नी प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होती है। स्वयं वादिया प्रतिवादी संख्या 1 चुन्नी बाई को गंगाराम की बेवा कहती है, परन्तु साथ ही यह भी कथन करती है कि समाज के पंचों द्वारा बेवा को सिर्फ 2 खेत दिये गये हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का प्रावधान आने के बाद समाज के पंचों या ग्राम पंचायत को यह अधिकार नहीं है कि बेवा को सिर्फ आंशिक हिस्सा देकर शेष हिस्सा किसी अन्य को दे दिया जाये। वैसे भी वादिया लिखतम के आधार पर खातेदारी अधिकार चाहती है, किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदार अधिकार दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने परिशिष्ट ''ख'' की भूमियों बाबत् न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होना मानकर वादिया का वाद बार्ड बाई लॉ होना माना है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा परिशिष्ट ''क'' की भूमियों बाबत् वादिया के वाद में वाद हेतुक नहीं होने तथा परिशिष्ट ''ख'' की भूमियों के सन्दर्भ में राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से वादी का वाद विधि विरूद्ध होना मानकर जो निर्णय पारित किया है हम उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–07–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम...............**उदयपुर**.............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

मु. वरदी बेवा भगवानलाल जी जाट, निवासी जेवाणा, तहसील मावली, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **श्रीमती चुन्नी बेवा गंगाराम जी जाट, (मृतक) व अन्य**

अपील नं............**100/2012**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**मावली**.......... मुकाम................मुवर्खे..........**...11**...............माह..............**07**.............**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**23**.....माह........**05**.......सन् **2018** रूबरू......**पक्षकारान** व हाजरी.......**श्री ओंकारलाल डांगी**.......मिनजानिब अपीलान्ट व......**श्री विजय ओस्तवाल**

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 11–07–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**23**......माह.......**05**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।